(7)

प्रकरण संख्या–69 / 2016 तारीख रजु–12.08.2016

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु कुमार आई.ए.एस.

उनवान

शैलेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह जाति गुर्जर निवासी धावाई की हवेली, गुंसाईं पाड़ा, करौली तहसील व जिला करौली राज. – अपीलार्थी

बनाम

1. राजेन्द्रसिंह पुत्र स्व. लक्ष्मीनारायण सिंह जाति गुर्जर निवासी मकान नं. 75, जादौन नगर–डी, दुर्गापुरा, जयपुर
2. धर्मेन्द्रसिंह पुत्र स्व. लक्ष्मीनारायण जाति गुर्जर निवासी धावाई की हवेली, गुंसाईं पाड़ा, करौली तहसील व जिला करौली राज.
3. तहसीलदार, तहसी ल हिण्डौनसिटी, जिला करौली
4. तहसीलदार, तहसील–करौली जिला करौली – प्रत्यर्थीगण

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 04.08.2016 द्वारा तहसीलदार हिण्डौन सिटी वसिलसिले मु.नं. 48 / 16 उनवानी शैलेन्द्र सिंह बनाम राजेन्द्र सिंह वगै. नामांतकरण संख्या 2973 दिनांक 17.02.2009 तहसील करौली

निर्णय

दिनांक–21.08.2018

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि यह अपील अपीलार्थी की ओर से पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 4762 रकबा 0.15, 4763 रकबा 4.04, 4764 रकबा 2.05 किता 3 रकबा 7.4 बीघा ग्राम करौली का नामांतकरण संख्या 2973 निर्णय दिनांक 17. 02.2009 जो कि फैमिली अरेंजमेण्ट के अनुसार लक्ष्मीनारायण सिंह पुत्र अंगद सिंह जाति गुर्जर धाबाई के बजाय धर्मसिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण सिंह व राजेन्द्रसिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण सिंह जाति गुर्जर के नाम निर्णित हुआ। तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन हो गया। इस नामांतकरण की अपील शैलेन्द्रसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह गुर्जर निवासी धाबाई की हवेली, गुंसाईंपाडा, करौली द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर महोदय, करौली के यहां इस विवरण के साथ प्रस्तुत किया है कि आराजी खसरा नम्बर 4762, 4763, 4764 अपीलाण्ट के हिन्दू संयुक्त परिवार की अविभाजित सम्पत्ति आय से खरीदी हुई भूमि है एवं परिवार में स्व. लक्ष्मीनारायण सिंह पुत्र अंगद सिंह एवं अपीलाण्ट के पिता एवं चाचा धर्मेन्द्र सिंह संयुक्त तौर पर निवास करते हैं एवं संयुक्त आय से परिवार का पालन पोषण करते रहे हैं। यह भूमि अविभाजित संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति है तथा अपीलाण्ट इस संयुक्त परिवार का सदस्य है। उक्त आराजीयात में अपीलाण्ट का संयुक्त हिस्सा 1 / 4 है। उक्त आराजीयात की खातेदारी लक्ष्मीनारायण सिंह परिवार के पिता एवं बडा सदस्य होने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हुई है। लक्ष्मीनारायण का इस आराजीयात में हिस्सा 1 / 4 रहा है एवं 1 / 4 हिस्सा राजेन्द्र सिंह का

जिला कलक्टर
करौली

तथा 1/4 हिस्सा धर्मेन्द्रसिंह का रहा है। पारिवारिक समझौता में बंटवारा प्रोपर स्टाम्प पर नहीं है न ही रजिस्टर्ड है तथा स्टाम्प पेपर बिना रजिस्टर्ड समझौता विधि के अनुसार मान्य नहीं है। इस पर अपीलाधीन आदेश बिना रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर जारी किया गया है तथा क्षेत्राधिकार विहीन है जो पूर्णतः शून्य व प्रभावहीन है। लक्ष्मीनारायण के दो पुत्रियां कमला व विद्यादेवी तथा एक बहिन धर्मेन्द्र कुमारी है। उन्हें भी सुनवाई का अवसर व नोटिस अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व नहीं दिया गया है। लक्ष्मीनारायण के जीवनकाल में फैमिली सैटलमेण्ट के आधार पर सुनवाई क्यों नहीं की गई। लक्ष्मीनारायण सिंह के फौत हो जाने के बाद उनके दस्तखती पड़े हुए स्टाम्प पर जो इकरारनामा के लिए खरीद किया गया है, उस पर कूटरचित तरीके से फर्जी कार्यवाही की गई है। इसलिये अपील स्वीकार की जाकर नामांतकरण संख्या 2973 दिनांक 17.02.2009 अपास्त करने हेतु निवेदन किया गया है। न्यायालय जिला कलक्टर करौली द्वारा उभयपक्ष की सुनवाई के बाद निर्णय दिनांक 12.11.2014 के द्वारा नामान्तकरण संख्या 2973 दिनांक 17.02.2009 निरस्त कर पत्रावली तहसीलदार करौली को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की गई है कि उक्त विवेचनानुसार रिकॉर्ड व मौके की जांच की जाकर नये सिरे से पुनः विधिवत् आदेश पारित करें। श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय करौली के यहां शैलेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् स्थानांतरित किये जाने बाबत् मुकदमा प्रस्तुत होने पर निर्णय दिनांक 30.11.2015 द्वारा नामांतकरण संख्या 2973 दिनांक 17.02.2009 करौली से संबंधित पत्रावली उनवानी शैलेन्द्रसिंह बनाम राजेन्द्रसिंह मुकदमा नं. 08/14 न्यायालय तहसीलदार करौली से न्यायालय तहसीलदार हिण्डौन को मुन्तकिल किये जाने के आदेश दिये। इस पर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मुन्तकिल की गई परन्तु रेस्पोण्डेण्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसील हिण्डौनसिटी के पीठासीन अधिकारी श्री घनश्याम जोशी से प्रकरण का निस्तारण अपने हक में कराने हेतु मिलीभगत कर ली गई जिससे व्यथित होकर प्रार्थी अपीलाण्ट ने एक मुन्तकिली प्रार्थना पत्र दिनांक 02.08.16 को न्यायालय जिला कलक्टर करौली के समक्ष पेश किया जिसमें सुनवाई हेतु 08.08.16 दिनांक नियत की गयी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने रेस्पोण्डेण्ट्स के उच्च राजनीतिक दबाव व मिलीभगत के चलते उक्त प्रकरण को विधि विरुद्ध रूप से रेस्पोण्डेण्ट्स को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से दिनांक 04.08.16 को फैसल कर दिया तथा आदेश दिया कि "उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 4762, 4763, 4764 कुल किता 3 कुल रकबा 7.4 बीघा कस्बा करौली–बी स्थित जो स्व. लक्ष्मीनारायण सिंह पुत्र अंगद सिंह जाति गुर्जर के नाम दर्ज खातेदारी अंकित है, को उनके जायज वारिसान धर्मकुमारी बेवा लक्ष्मीनारायण सिंह, राजेन्द्र सिंह, धर्मेन्द्रसिंह, पिसरान लक्ष्मीनारायण सिंह, कमला, विद्या पुत्रियां लक्ष्मीनारायण सिंह जाति गुर्जर हिस्सा बराबर को जरिये नामांतकरण दर्ज किये जाने के आदेश जारी किये जाते हैं।"

इस आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा अपील हाजा निम्न आधारों पर पेश की गई है–अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय आदेश परवर्स इल्लीगल एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री की अवहेलना कर विधिक सिद्धान्तों की घोर हिंसा कर पारित किया गया है। प्रकरण हाजा में प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना

जिला कलक्टर
करौली

पत्र पेश कर अवगत कराया था कि प्रकरण के पक्षकारान के मध्य उक्त पैतृक सम्पत्तियों में अपने अधिकार एवं विभाजन हेतु एक नियमित वाद संख्या 35/14 उनवानी शैलेन्द्रसिंह बनाम राजेन्द्रसिंह वगै. व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु. नं. 14/15 माननीय अपर जिला न्यायालय करौली के समक्ष विचाराधीन है। और जब पक्षकारों के मध्य विवादित सम्पत्ति पर अपने अधिकारों के विनिश्चयन के लिए कोई सिविल वाद लम्बित हो तो ऐसी सूरत में अधीनस्थ न्यायालय को आलोच्य आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं थी। उन्हें उक्त प्रकरण में आगामी आदेश विधि अनुसार स्थगित फरमा दिया जाना चाहिये था जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान ने अपने न्यायिक निर्णय पि.2009(2) आर.आर.टी.1225 में विनिश्चित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आलोच्य आदेश पूर्वाग्रह से ग्रस्त एवं विधिक सिद्धान्तों की घोर हिंसा कर पारित किया गया है, जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य आदेश में विवादित खसरा नम्बरान को पैतृक तो माना है परंतु उसमें प्रार्थी को कोई हिस्सा नहीं मानने में भारी विधिक भूल की है। इस आधार पर भी आलोच्य आदेश निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक भूल की है। विधि अनुसार ए.आई.आर. 2013 सुप्रीम कोर्ट 3525 विधि अनुसार मेरे अधिकार उक्त सम्पत्ति में मेरे जन्म से ही निहित हैं। अपीलाण्ट उक्त सम्पत्ति में कोपार्सनरूह। इस आधार पर भी आलोच्य आदेश विधि की भूल कर पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर पारित किया गया है जो निरस्तनीय है। जब प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री घनश्याम जोशी के कार्य व व्यवहार से संतुष्ट नहीं था तथा प्रार्थी को उक्त पीठासीन अधिकारी से न्याय की आशा नहीं थी। इसलिये प्रार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर करौली के समक्ष मुन्तकिली प्रार्थना पत्र दिनांक – को पेश किया था। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त अनुसार ऐसी स्थिति में उक्त पीठासीन अधिकारी को पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर आलोच्य आदेश पारित नहीं करना चाहिये था। इस कारण भी आलोच्य आदेश निरस्तनीय है। अंत में अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने लिखित बहस पेश कर कथन किया है कि मुझ अपीलाण्ट शैलेन्द्र सिंह व रेस्पोण्डेण्ट राजेन्द्र सिंह वगै. के मध्य पैतृक सम्पत्ति में अपने अधिकारों के निर्धारण व सम्पत्ति पैतृक के बंटबारे हेतु न्यायालय श्रीमान् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश करौली के न्यायालय में वाद संख्या 35/2014 उनवानी शैलेन्द्रसिंह बनाम राजेन्द्रसिंह व अन्य के साथ मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुतफर्रिक प्रकरण संख्या 14/2015 लंबित है जिसमें आगामी तारीख पेशी 26.09.2016 नियत है इसकी सूचना लिखित में मुझ अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्रीमान् तहसीलदार हिण्डौनसिटी को दिये जाने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को निर्णय किये जाने में विधि की भूल की है क्योंकि जब पक्षकारों के मध्य अधिकारों के संबंध में कोई नियमित वाद किसी सिविल न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तो ऐसी स्थिति में उक्त नामांतरकरण अपील का न्याय निर्णयन किया जाना न्यायोचित नहीं था। इस बाबत् अपील हाजा के साथ न्यायिक दृष्टांत

जिला कलक्टर
करौली

सूरजकरण बनाम छीतर एण्ड आदर्श, आर.आर.टी.–2009(2) पेज नंबर 1225 पेश है। इसलिये अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोण्डेण्ट द्वारा पेश की गई लिखित बहस में बार–बार रिवर्स कर एवं बिन्दु संख्या 8 के अंत में विरोधाभासी तथ्य अंकित किये हैं। एक ओर भूमि को स्व. लक्ष्मीनारायणजी की सम्पत्ति मान रहे हैं जिसमें अपीलाण्ट का हक हिस्सा नहीं होने का तथ्य अंकित किया है। जो गलत एवं कानून के विपरीत है। क्योकि स्वं0 लक्ष्मीनारायण जी अपीलांट के बाबा(दादा जी) थे। इसलिऐ मुझ अपीलान्ट के लिऐ यह भूमि सयुंक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित पुश्तैनी पैतृक सम्पत्ति मानी जावेगी एवं पैतृक सम्पत्ति मे पुत्र अपने पिता के जीवन काल मे ही अधिकार प्राप्त कर लेता है और वह उस पैतृक भूमि के विभाजन (बटबारे) की मॉग कर सकता है। एवं सयुंक्त कुटुम्व के कर्ता द्वारा बिना विधिक आवश्यकता के अन्य संक्रमण (विक्रय आदि) नही किया जा सकता है। इस तथ्य के सपोर्ट में न्यायिक दृष्टांत – (1) रोहित चौहान बनाम सुरेन्द्र सिंह एण्ड आदि ए.आई.आर. 2013 एस.सी. पेज नंबर 3525 (2) श्रीमती मानकंवर बनाम राज्य आर.आर.डी. (एच. सी.) 376 (3) देवीलाल बनाम फालतूबाई आर.आर.डी. 1981 पेज 512 (4) श्रीमती ऊकोडी बनाम बृजलाल आर.आर.डी. 1982 पेज नं. 493 (5) नारायण सिंह बनाम अमराराम 1992 वे.ला. के. 183। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं कर विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में पत्रावली में रेस्पोण्डेण्ट द्वारा प्रस्तुत सभी तथ्यों को आधारहीन माना है लेकिन निर्णय के अंत में न्यायालय ने राज्य सरकार के हित में लगान व हासिल की वसूली के उद्देश्य को आधार बनाकर राजस्व मण्डल अजमेर के न्यायिक दृष्टांत मातादीन बनाम रामानंद आर.आर.डी. 1957 पेज 4 के निर्णय को अपने निर्णय का आधार मानना व पत्रावली को गुणावगुण के आधार पर निर्णित नहीं करना, वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं है क्योंकि यह निर्णय 60 वर्ष पुराना स्वतंत्रता के पश्चात् उस समय का है जब राज्य सरकार के पास आय के सीमित संसाधन थे एवं भू–राजस्व की वसूली ही सरकारी कोष की आय का मुख्य जरिया था जबकि वर्तमान में लगभग 20 वर्षों से राजस्व कोष हेतु लगान/भेज की वसूली माफ/नगण्य है। इसलिये पक्षकारों के हक हकूकों एवं अधिकारों के आधार पर गुणावगुण पर विचार किये बिना मात्र इस निर्णय की आड़ में रेस्पोण्डेण्टान के नाम नामांतरण खोले जाने का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाना विधि विरुद्ध एवं कानून की मंशा व प्राकृतिक न्यायों के सिद्धांत के विपरीत है जो खारिज किये जाने योग्य है। श्रीमान्जी के न्यायालय द्वारा पूर्व में भी इस पत्रावली में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.02.2009 का एवं उसकी पालना में खोला गया नामांतरकरण संख्या 2973 दिनांक 17.02. 2009 कस्बा करौली निरस्त किया गया था जिसे रेस्पोण्डेण्ट द्वारा साजपूर्वक संभागीय आयुक्त भरतपुर से पक्षकारों के मध्य राजीनामा होने का झूठा बहाना बनाकर छलपूर्वक खारिज करवा दिया है एवं अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी एवं कर्मचारियों से साज गांठ कर एवं अपने राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर श्रीमान्जी के न्यायालय (न्यायालय जिला कलक्टर करौली) के द्वारा पारित निर्णय को आपके अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हिण्डौन सिटी द्वारा खारिज कर निर्णय देना विधि विरुद्ध होने के कारण यह आदेश पुनः अपास्त किये जाने योग्य है। अपील के पैरा नंबर 1 में वर्णित सम्पत्ति मात्र कृषि भूमि कृषि प्रयोजन की ही नहीं है बल्कि इस भूमि पर आवासीय पुश्तैनी मकानात एवं 4 दुकानें व अपीलाण्ट के पितामह की

जिला कलक्टर
करौली

छतरी बनी हुई है जो कि संयुक्त कुटुम्ब की रिहायश एवं छतरी परिवार की आस्था का केन्द्र है एवं इस भूमि का रूपान्तरण कराये बिना ही रेस्पोण्डेण्ट इस भूमि का भूखण्ड बनाकर विक्रय करने पर उतारू है। अधीनस्थ न्यायालय को इस बात की जानकारी होने के बावजूद भी इस तथ्य पर गौर नहीं कर निर्णित करने में विधि की भूल की है। इसलिये निर्णय अधीनस्थ न्यायालय जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है। यह कहां का न्याय है कि अपने ऐशोआराम के लिये पूर्वजों के द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति को खुर्द बुर्द एवं विक्रय करे एवं अपने वंशजों को आजीविका एवं भरण–पोषण हेतु भटकने एवं दर–दर की ठोकरें खाने के लिए सड़क पर असहाय छोड़ दे। इसलिये इस सम्पत्ति के अन्य संक्रमण (विक्रय) हेतु रेस्पोण्डेण्ट की अधीनस्थ न्यायलय द्वारा बैकडोर एण्ट्री कराकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की घोर अवहेलना कर निर्णय करने के कारण अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की घोर अवहेलना कर निर्णय करने से अपीलाण्ट को भारी अपूरणीय क्षति हुई है। इसलिये जब तक न्यायालय ए.डी.जे. साहब करौली के न्यायालय में लंबित प्रकरण के अंतिम निस्तारण तक अपीलाधीन अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर लंबित वाद के अंतिम निस्तारण तक अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की क्रियान्विति को स्थगित किया जाना अति आवश्यक है। रेस्पोण्डेण्ट शहर के माने हुए धनाढ्य व राजनैतिक प्रभावशाली लोग हैं जिन्होंने इस पत्रावली में संभागीय आयुक्त भरतपुर न्यायालय में अपील संख्या 47/2014 उनवानी राजेन्द्रसिंह बनाम शैलेन्द्रसिंह पेश की है जिसमें अप्रार्थीगण ने एक झूंठा एवं वेग प्रार्थना पत्र दिनांक 17.06.2015 को प्रस्तुत किया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है। इसलिये हम उक्त अपील को खारिज कराना चाहते हैं जबकि अपीलाण्ट का रेस्पोण्डेण्ट से कोई राजीनामा नहीं हुआ था फिर भी न्यायालय से कपट व छलपूर्वकर अपील खारिज करवा ली एवं तहसीलदार करौली से मिलीभगत कर तुरंत नामांतरकरण आदेश पारित करवाना चाहा। जब अपीलाण्ट को इस मिलीभगत का आभास हुआ तो यह प्रकरण अपीलाण्ट द्वारा श्रीमान् से अर्ज कर प्रकरण न्यायालय तहसीलदार हिण्डौन स्थानांतरित करवाया गया लेकिन जब अपीलाण्ट दिनांक 29.07.2016 को अपनी हिण्डौन तारीख पर पहुंचा तो शहर का धनाढ्य उच्च राजनैतिक प्रभाव वाला भू–माफिया व्यक्ति अशोकसिंह धाबाई पीठासीन अधिकारी तहसीलदार हिण्डौन व इसके कार्यालय के मनीष बाबू व अन्य कर्मचारियों से सांठ गांठ व मिलीभगत करते हुए पाये गये एवं अपीलाण्ट द्वारा फोटोग्राफी लेने पर राज खुलने के भय से मनीष बाबूजी इस व्यक्ति अशोकसिंह के पास मुंह छिपाकर भागने लगे जिसके प्रमाण स्वरूप लिखित बहस के साथ फोटो पेश किये हैं। इस वार्तालाप में मिलीभगत एवं सांठगांठ का अंदेशा होने पर अपीलाण्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया लेकिन एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने का भय दिखाकर इस प्रार्थना पत्र पर अपीलाण्ट द्वारा जबरदस्ती से लिखित बहस लिखवा लिया गया जिस पर मेरे द्वारा लिखित बहस लिखा गया है। वह बहस नहीं है एवं महत्वहीन है। रेस्पोण्डेण्ट एवं अशोकसिंह की सांठ गांठ के पश्चात् ऐसा क्या कारण था कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट का लिखित बहस पेश करने को भी समय नहीं दिया एवं पत्रावली में लगातार दिनांक 29.07.2016 समय 10.00 बजे दिनांक 02.08.2016, दिनांक 03.08.2016 समय 9.30 बजे पर एवं अतिशीघ्र ही दिनांक 04.08.2016 को सुबह के वक्त ही आनन फानन में निर्णय सुना दिये जाने से स्पष्ट जाहिर होता

जिला कलक्टर
करौली

है कि यह निर्णय साज पूर्वक अपीलाण्ट को अनुचित हानि पहुंचाने की नीयत से राजनैतिक दबाव में आकर न्यायालय द्वारा अपना माइण्ड एप्लाई किये बिना निर्णय पारित किया है जो कि सबूत के तौर पर पेश की जा रही फोटोग्राफी से स्पष्ट जाहिर है एवं अब इसी अशोकसिंह द्वारा इस भूमि को क्रय किया जा रहा है एवं इस निर्णय की नकल मांगने पर अधीनस्थ न्यायालय में हिण्डौन में पीठासीन अधिकारी द्वारा हड़बड़ी में लापरवाही पूर्वक पत्रावली में फोटोकॉपियों की भी प्रमाणित प्रति गैर कानूनी रूप से प्रदान कर दी जो सबूत के तौर पर अपीलाण्ट के पास मौजूद है। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय विधि के स्पष्ट प्रावधानों के विपरीत जल्दबाजी में दबाव में आकर हड़बड़ी में पारित किया है। उच्च राजनैतिक दबाव में आकर पारित किया है जिसे अपीलाण्ट के सम्पत्ति संबंधी अधिकारों के संरक्षण हेतु निरस्त किया जाना अति आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय को इस बात से अवगत करा दिया गया था कि यह भूमि अब कृषि प्रयोजन की नहीं रही है एवं एन.एच. 11 के सहारे बहुमूल्य वाणिज्यिक भूमि है जिसे मात्र कृषि भूमि मान डी.एल.सी. रेट का रेस्पोण्डेण्ट को विक्रय में निर्धारण किया जाना निर्णय विसंगति उत्पन्न करता है। विधि एवं तथ्यों के इस मिश्रित प्रसंग का अपने निर्णय में गौर नहीं किये जाने के कारण भी यह निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोण्डेण्ट ने लिखित बहस के पैरा नंबर 1 में स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण सिंह की पुत्री कमला, विद्या आदि को पक्षकार नहीं बनाने के कारण अपील खारिज किये जाने का तथ्य अंकित किया है जो अनुचित है क्योंकि यह अगर उक्त आराजी में अपने हक हकूकों की रक्षार्थ पार्टी बनना चाहे तो सी.पी.सी. 1908 के आदेश 1 नियम 10 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर पक्षकार बन सकने का विकल्प खुला है। अंत में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हिण्डौन द्वारा मुकदमा नं. 48 / 2016 अपील नामांतरकरण में पारित निर्णय दिनांक 04.08.2016 को निरस्त करने एवं पक्षकारों के मध्य पैतृक सम्पत्तियों में अपने अधिकारों व विभाजन हेतु लंबित वाद के अंतिम निस्तारण तक प्रकरण के अभाव में कार्यवाही स्थगित रखने का कथन किया है।

वकील रेस्पोण्डेण्ट ने लिखित बहस पेश कर कथन किया है कि अपील अपीलाण्ट कतई झूंठे व काल्पनिक आधारों पर पेश की गई है जो काबिले खारिज है। पूर्व की अपीलाण्ट की अपील में विवादित आराजीयात् हिन्दू संयुक्त परिवार की अविभाजित सम्पत्ति की आय से खरीद करना व अविभाजित होना व अपीलाण्ट का हिस्सा 1 / 4 संयुक्त परिवार सदस्य होने के कारण होना, कतई गलत अंकित किया है। उक्त आराजी स्व. श्री लक्ष्मीनारायणसिंह की स्वयं की आय से खरीदी हुई भूमि है जिसे न्यायालय ए.डी.जे. करौली ने अपने निर्णय दिनांक 27.05.2014 में माना है जिसकी जानकारी स्वयं अपीलाण्ट को शुरू में रही है। धर्मेन्द्र कुमारी नाम की कोई बहन स्व. श्री लक्ष्मीनारायण की नहीं थी और ना इस नाम का हमारे परिवार में कोई है। फैमिली एरेन्जमेण्ट को न्यायालय श्रीमान् द्वारा खारिज कर पुनः नामांतरकरण विधि अनुसार समस्त वारिसान के मध्य खोलना स्वीकार है जिसके तहत विधि अनुसार स्व. श्री लक्ष्मीनारायण सिंह के दो पुत्र राजेन्द्र व धर्मेन्द्र तथा दो पुत्री कमला व विद्या व उनकी वेबा धर्मकुमारी के नाम नामांतरकरण तहसीलदार हिण्डौनसिटी ने दिनांक 04. 08.2016 को दोनों पक्षों को सुनकर विधि अनुसार निर्णय पारित किया है। इन जीवित वारिसान के अतिरिक्त स्व. श्री लक्ष्मीनारायण सिंह के अन्य कोई वारिस नहीं है। अपीलाण्ट का

जिला कलक्टर
करौली

उसके पिता के रहते नाम अंकित होना संभव नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा यह कथन कि तहसीलदार घनश्याम जोशी से हम रेस्पोण्डेण्ट द्वारा मिलीभगत कर यह निर्णय कराया है, सरासर झूंठा है। अपीलाण्ट स्वयं इस तथ्य से ज्ञात है कि स्व. लक्ष्मीनारायणसिंह के पांच वारिस हैं जिनमें उनकी बेवा धर्मकुमारी व उनके दो पुत्र राजेन्द्र व धर्मेन्द्र तथा दो पुत्रियां कमला व विद्या हैं और वे सभी अभी जीवित हैं तो इसमें कहां कोई गलत निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया और उससे अपीलाण्ट के क्या हक हकूक प्रभावित हुए। इस बाबत् अपील में कोई तथ्य अंकित नहीं हैं। कोई राजनैतिक दबाव पीठासीन अधिकारी पर हम रेस्पोण्डेण्ट द्वारा नहीं दिया गया। प्रकरण के आवश्यक पक्षकारों को अपील में संयोजित न करने के कारण अपील अपीलाण्ट खारिज होने योग्य है क्योंकि अब कमला व विद्या पुत्रियां स्व. लक्ष्मीनारायण सिंह व धर्मकुमारी बेवा स्व. लक्ष्मीनारायण सिंह के हक हकूक भी उक्त आराजी में निहित हैं और उन्हें बिना सुने कोई आदेश पारित किया जाना कानूनन उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय पूर्णतया उचित है जिससे अपीलाण्ट के कोई हक हकूक प्रभावित नहीं होते हैं और ना ही किसी विधिक सिद्धांतों की अवहेलना की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई समस्त कार्यवाही न्यायालय श्रीमान् के आदेश से हुई कार्यवाही है और अब उसे अपीलाण्ट स्वयं ही प्रश्नगत कर रहा है। फैमिली एरेन्जमेण्ट को अपीलाण्ट द्वारा अपील पेश कर निरस्त करवाया गया बाद में फिर अपीलाण्ट द्वारा ही पत्रावली तहसील करौली से तहसील हिण्डौनसिटी को मुंतकिल कराई गई और कार्यवाही किसी प्रकार से रुकी रहे इस कारण बार–बार अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय श्रीमान् के यहां तहसीलदार हिण्डौन के विरुद्ध भी मुंतकिल प्रार्थना पत्र पेश किये गये जब अपीलाण्ट को किसी न्यायालय से यथायोग्य उचित आदेश प्राप्त नहीं हुए तो अपीलाण्ट ने न्यायालय श्रीमान् के मुंतकिल के खारिजी आदेश के विरुद्ध राजस्व मण्डल अजमेर में भी मुंतकिल प्रार्थना पत्र पेश किया जो अंततः यह कहते हुए खारिज फरमा दिया कि अपीलाण्ट स्वयं शुद्ध हस्त से नहीं आया है और वह स्वयं कार्यवाही में बार–बार बाधा कारित कर प्रकरण का निस्तारण नहीं होने देना चाहता है और इस प्रकार येन केन प्रकारेण प्रकरण को लंबित रखना चाहता है। उक्त समस्त दस्तावेजात् अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न हैं। अपीलाण्ट को किसी भी न्यायालय में जब स्थगन प्राप्त नहीं हुआ और तहसीलदार हिण्डौनसिटी द्वारा श्रीमान् के आदेश की अनुपालना में दिनांक 04.08.2016 पारित कर दिया तो उसके पश्चात् पुनः बिना किसी आधार व अधिकार के यह अपील अपीलाण्ट के द्वारा पेश कर दी गई है जो मय खर्चा खारिज होने योग्य है। अपीलाण्ट का कोई हिस्सा कानूनन नहीं बनता है। पिता के जीवित रहते हुए उसका कोई हिस्सा नहीं बनता है। उसके पिता राजेन्द्र ने भी अपना सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड वयनामा अशोकसिंह को वय कर दिया है। इस प्रकार अब इस जमीन में अपीलाण्ट का कोई हिस्सा कानुनन नहीं है। उक्त अपील में तहसीलदार करौली को अनावश्यक पक्षकार बनाया गया है। निर्णय अधीनस्थ न्यायालय किस आधार पर निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलाण्ट पर उक्त आलोच्य निर्णय का क्या विपरीत प्रभाव पड़ा, अपील में अंकित नहीं होने के कारण अपील अपीलाण्ट खारिज होने योग्य है। अपील इस बदनीयती से पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की क्रियान्विति को बाधित किया जावे और उसे किसी प्रकार रोका जावे जो उचित नहीं है। बिना किसी उच्चतम न्यायालय के आदेश अथवा किसी सिविल

जिला कलक्टर
करौली

न्यायालय के स्थगन आदेश के बिना प्रकरण की कार्यवाही को रोकना अथवा लंबित रखने से हम रेस्पोण्डेण्ट्स के संवैधानिक अधिकारों पर कुठाराघात होगा। रेस्पोण्डेण्ट राजेन्द्र सिंह 70 वर्ष का व्यक्ति है एवं धर्मकुमारी बेवा स्व. लक्ष्मीनारायण सिंह करीब 97 वर्ष की वृद्ध महिला है उनके जीवनकाल में प्रकरण को निलंबित रखना अथवा स्थगित रखना कतई उचित नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा जिन नजीरों का हवाला अपने अपील मीमों में दिया गया है वे प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों पर लागू नहीं होती है। उक्त नजीरों में कार्यवाही को स्थगित इसलिये रखा गया क्योंकि उन प्रकरणों में पक्षकारों का विवादित आराजीयात में सीधे–सीधे हक व हित समाहित था एवं अन्य सिविल न्यायालयों से स्थगन भी प्राप्त था किन्तु इस प्रकरण में न तो अपीलाण्ट को न तो किसी सिविल न्यायालय से स्थगन प्राप्त है ना ही उसका कोई हक व हिस्सा इस प्रकरण में विवादित आराजीयात् में निहित है। और यह तथ्य न्यायालय ए.डी.जे. करौली के अस्थाई निषेधाज्ञा के फैसले में तय किया जा चुका है। अभी अपीलाण्ट के पिता जीवित हैं जिसके हक में नामांतरकरण खुल चुका हैं और वे अपने हक व हिस्से में आई सम्पूर्ण 1/5 भूमि को अशोक सिंह को पूर्व में ही व्यय कर चुके हैं। उक्त आराजी कोई पुश्तैनी भूमि नहीं है बल्कि स्व. लक्ष्मीनारायण सिंह की स्वयं की आय से अर्जित भूमि है जिसमें अपीलाण्ट का कोई हक हिस्सा नहीं है। इस प्रकार अपीलाण्ट को अपनी अपील मीमों में अंकित नजीरों से कोई लाभ नहीं मिल सकता। अपीलाण्ट का कण्डक्ट यह साबित करता है कि वह मात्र कानून की आड़ लेकर हम प्रार्थीगण रेस्पोण्डेण्ट व प्रशासन एवं स्वयं न्यायालय को घुमा रहा है, उन्हें गुमराह करना चाहता है और अनावश्यक प्रकरणों में उलझाना चाहता है। अपीलाण्ट द्वारा जो यह अपील जिस अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरुद्ध पेश की गई है, उस आलोच्य निर्णय में अग्रसरण में हम प्रार्थीगण व कमला, विद्या पुत्रियां स्व. लक्ष्मीनारायण सिंह तथा धर्मकुमारी बेवा स्व. लक्ष्मीनारायणसिंह के हक में नामांतरकरण तस्दीक हो चुका है। अपीलाण्ट को उस नामांतरणकरण को चुनौती देनी चाहिये थी ना की अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की क्रियान्विति को रोकने की। इस कारण अपील खिलाफ कानून व Infructauous होने के कारण भी खारिज होने योग्य है। अंत में अपील अपीलाण्ट को खारिज किये जाने का कथन किया है।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार निर्णय पारित कर स्व. श्री लक्ष्मीनारायण सिंह के विधिक वारिसान के नाम नामांतरकरण खोला गया है जिसमें स्व. श्री लक्ष्मीनारायण सिंह के किसी भी विधिक वारिस को छोड़ा नहीं गया है और ना ही किसी अतिरिक्त व्यक्ति को जोड़ा गया है।

हमने उभयपक्षकारों की लिखित एवं मौखिक बहस पर मनन एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि प्रस्तुत अपील तहसीलदार हिण्डौन के निर्णय दिनांक 04.08.2016 के विरुद्ध इस आशय की पेश की गई है कि अपील नामांतरकरण संख्या 48/16 में पारित आलोच्य आदेश निरस्त फरमाया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय को आदेश फरमाया जावे कि पक्षकारों के मध्य पैतृक सम्पत्तियों में अपने अधिकारों व विभाजन हेतु लंबित वाद के अंतिम निस्तारण होने तक प्रकरण की आगामी कार्यवाही स्थगित रखे। इस अपील से पूर्व भी प्रकरण न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, करौली में भी अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा दायर किया गया जिसमें न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश,

जिला कलक्टर
करौली

करौली ने प्रकरण संख्या 14 / 14 उनवानी शैलेन्द्र सिंह बनाम राजेन्द्र सिंह वगै. में तीन बिन्दु कायम कर परीक्षण किया। तीनों ही बिन्दु अपीलार्थी के पक्ष में नहीं पाये गये। ऐसे में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, करौली ने उक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 27.05.2014 द्वारा खारिज किया गया। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपीलार्थी की ओर से दायर मुंतकिली प्रार्थना पत्र में पारित निर्णय दिनांक 18.07.2016 द्वारा प्रकरण को अपीलार्थी द्वारा अनावश्यक रूप से देरीना किया जाना, पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध लगाये गये आक्षेप काल्पनिक, निराधार एवं असत्य होना तथा अपुष्ट एवं अनौचित्यपूर्ण आधारों पर मुंतकिली प्रार्थना पत्र दायर किया जाना दर्शाया जाकर सारहीन होने के कारण खारिज कर दिया गया था। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.11.2014 द्वारा नामांतरकरण संख्या 2973 दिनांक 17.02.2009 निरस्त कर पत्रावली तहसीलदार करौली को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की गई थी कि रिकॉर्ड व मौके की स्थिति अनुसार जांच कर नये सिरे से पुनः विधिवत् आदेश पारित करें। अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र बाबत् मुंतकिल किये जाने मुकदमा प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 30. 11.2015 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हिण्डौन को मुंतकिल किया जाकर सुनवाई उपरांत निर्णय पारित करने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार हिण्डौन द्वारा छः माह से भी अधिक समय उपरांत विधिवत् सुनवाई कर निर्धारित विधिक प्रक्रिया द्वारा बिना किसी जल्दबाजी के निर्णय पारित किया गया है। विवादित भूमि स्व. लक्ष्मीनारायण द्वारा स्वयं की आय से क्रय की गई थी जो उसकी स्वअर्जित सम्पत्ति की श्रेणी में आती है। उनकी मृत्यु के पश्चात् आराजी खसरा नं. 4762, 4763, 4764 बाके कस्बा करौली की भूमि का नामांतकरण स्व. श्री लक्ष्मीनारायण सिंह के विधिक 5 वारिसान के नाम तहसीलदार हिण्डौन द्वारा खोलने का आदेश दिनांक 04.08.2016 के निर्णय में पारित किया गया। तहसीलदार हिण्डौन ने अपने निर्णय में उल्लेख किया है कि पारिवारिक एरेन्जमेंट अपंजीकृत था तथा खातेदार की मृत्यु के पश्चात् भूमि व्यवस्था व लगान वसूली हेतु वारिसों के नाम नामांतरकरण दर्ज किया जाना आवश्यक है। जहां पर अपील अपीलाण्ट द्वारा अपने अपील मीमो में यह तर्क दिया गया है कि इस सम्पत्ति के संबंध में अन्य न्यायालयों में वाद विचाराधीन है, वहां पर अपीलाण्ट द्वारा किसी भी न्यायालय में विचाराधीन वाद में कोई स्थगन इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है और अपने मीमो में बार–बार अपने पिता की भूमि में से हिस्सा चाहा गया है किन्तु यह भूमि स्व. श्री लक्ष्मीनारायण सिंह पुत्र श्री अंगद सिंह द्वारा अपनी स्वअर्जित आय से क्रय की गई है। लक्ष्मीनारायण सिंह की फौत हो जाने के बाद भू–राजस्व अधिनियम के तहत नियमानुसार विधिक रूप से वारिसों के नाम दर्ज होने के बाद अपीलाण्ट के पिता ने अपने हिस्से की भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से अन्य को विक्रय कर दिया गया है। अपीलाण्ट का पिता वर्तमान में जीवित है। जहां पर अपीलाण्ट अपने जीवित पिता के हिस्से की भूमि में से अपना हिस्सा चाहता है तो वह सक्षम न्यायालय में दावा दायर करने में स्वतंत्र है। यह प्रकरण विधिक रूप से वारिसों का सम्पत्ति से संबंधित है जिसमें अपीलार्थी के पिता के नाम भूमि प्राप्त हो गई थी। यह प्रकरण तहसीलदार हिण्डौन के निर्णय दिनांक 04.08.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार हिण्डौन के निर्णय दिनांक 04.08.2016 में हम किसी भी प्रकार से संदेह नहीं कर सकते हैं। अपील अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरें इस प्रकरण

जिला कलक्टर
करौली

पर चस्वानगी नहीं होती है। अपील अपीलाण्ट अपनी अपील को साबित करने में नाकाम रहा है।

अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन, तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा तहसीलदार हिण्डौन द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.08.2016 यथावत् रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिमन्यु कुमार)
जिला कलक्टर
करौली